राजस्थान सरकार

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(67)डी.एम.ई / ग्रुप–1 / 2017 जयपुर, दिनांक 30 OCT 2017

आदेश

इस विभाग के आदेश कमांक प. 1(176)एम.ई / ग्रुप–1 / 96 दिनांक 24.04.2017 के द्वारा डॉ0 अंकित सोडानी (मेरिट क्रमांक 4ए) को सहायक आचार्य, फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहेबिलिटेशन के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में किया गया था। डॉ0 अंकित सोडानी को आदेश जारी होने की दिनांक से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करनी थी।

डॉ. अंकित सोडानी द्वारा निर्धारित समय में पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है, और इस सम्बन्ध में इनके द्वारा ना तो इस विभाग को और ना ही पदस्थापन स्थान पर किसी प्रकार की कोई सूचना प्रस्तुत की गई है। उक्त वस्तुस्थिति से यह प्रतीत होता है कि डॉ. अंकित सोडानी नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर नियुक्ति प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है।

डॉ. अंकित सोडानी के द्वारा निर्धारित समय में पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनका नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

अतः डॉ. अंकित सोडानी के पक्ष में जारी उपरोक्त वर्णित नियुक्ति आदेश दिनांक 24.04.2017 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इस विभाग के आदेश कमांक प. 1(176)एम.ई / ग्रुप–1 / 96 दिनांक 24.04.2017 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, **बीकानेर।**
4. डॉ0 अंकित सोडानी पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र, मकान नं. 214, गौतम मार्ग, नामदार उज्जैन (मध्यप्रदेश)–456006(**रजिस्टर्ड डाक से**)।
5. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव